

कार्यालय नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन (म0प्र0)

क्रमांक / राजस्व / 2026 / 815

तराना, दिनांक 05.05.2026

--: दुकान आबंटन हेतु ई निविदा सूचना ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् तराना द्वारा हाटमैदान में सब्जीमण्डी की नवनिर्मित पक्की दुकाने पर नवनिर्मित दुकानों एवं आवंटन से शेष दुकानों के निविदा प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति अन्तरण) नियम 2016 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत राईट ऑफ आक्यूपेशन के तहत ई निविदा के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं-

| स. क्र. | टेण्डर आईडी क्रमांक | दुकान क्रमांक | दुकान की क्रमांक | दुकान का आरक्षण | न्यूनतम ऑफर राशि | निविदा अमानत राशि | निविदा प्रपत्र मूल्य | मासिक किराया राशि |
|---------|---------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2026_UAD_477761_1 | हाटमैदान में सब्जीमण्डी की नवनिर्मित पक्की दुकाने | 1 | अनारिक्त | 734265/- | 50000/- | 5000/- | 450/- |
| 2 | 2026_UAD_477761_2 | | 2 | अनारिक्त | 734265/ | 50000/- | 5000/- | 450/ |
| 3 | 2026_UAD_477761_3 | | 3 | अ.जा. | 734265/ | 50000/- | 5000/- | 450/ |
| 4 | 2026_UAD_477761_4 | | 4 | अनारिक्त | 734265/ | 50000/- | 5000/- | 450/ |
| 5 | 2026_UAD_477761_5 | | 5 | अ.जा. | 734265/ | 50000/- | 5000/- | 450/ |
| 6 | 2026_UAD_477761_6 | | 6 | अनारिक्त | 734265/ | 50000/- | 5000/- | 450/ |
| 7 | 2026_UAD_477761_7 | | 7 | अनारिक्त | 734265/ | 50000/- | 5000/- | 450/ |
| 8 | 2026_UAD_477761_8 | | 8 | अनारिक्त | 734265/ | 50000/- | 5000/- | 450/ |
| 9 | 2026_UAD_477761_9 | | 9 | अ.पि.वर्ग | 734265/ | 50000/- | 5000/- | 450/ |

• ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **04.06.2026 को सांय 5.30 बजे तक** रहेगी। ई-ऑक्शन की जानकारी केवल पोर्टल के माध्यम से दी जावेगी। ई-निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारी www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

(विरेन्द्र कुमार मेहता)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन
तराना, दिनांक

पृष्ठां. क्रमांक /
प्रतिलिपि-

- 1- संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) तराना की ओर सूचनार्थ।
- 3- कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन उज्जैन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4- जनपद पंचायत / तहसील / नगरपालिका कार्यालय / उपपंजीयक कार्यालय एवं नगर के सहगोचर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हेतु।
- 5- सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर चस्पा हेतु।
- 6- संपादक / संवाददाता की ओर आपके समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर जनसंपर्क द्वारा अनुमोदित दर अनुसार देयक प्रस्तुत कर समाचार पत्र की 40 प्रतियां संलग्न करें।

(विरेन्द्र कुमार मेहता)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन

कार्यालय नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन (M0प्र0)

Ph.07369-236575 FAX.07369-236575 Email:cmotarana@mpurban.gov.in

क्रमांक / राजस्व / 2026 /

तराना, दिनांक :-

--: नगरपालिका द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन की शर्तें :-

1. दुकान का आवंटन उच्चतम ई-निविदा प्रस्ताव स्वीकृति होने पर प्रारंभिक रूप से 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर प्रदान किया जावेगा। दुकान आवंटनी को अपने स्वयं व्यय पर अनुबंध का विधिवत उपपंजीयक कार्यालय से पंजीयन कराना होगा।
2. दुकान आवंटन का नवीनीकरण 30 वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा, नवीनीकरण प्रभार तत्समय प्रभावशील प्रभार के अनुसार देय होंगे।
3. पट्टे की अवधि के अवसान की एक वर्ष की अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 की कंडिका क्रमांक 17 इस भाग में समाहित रहेगी तथा संशोधित नियम दिनांक 04 मई 2021, 28.03.2023 की शर्तें मान्य होगी।
4. पट्टा भाड़ा (दुकान किराया) निर्धारित अवधि में चुकाना होगा, अन्यथा निर्धारित दण्डिक प्रभार देय होगा।
5. दुकान के संरचनात्मक भागों के किसी भाग में कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो तथा वह इसे उसी स्थिती में रखेगा, जैसा कि उसे प्रदान किया गया हो।
6. यदि संपत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती तो इसकी हुई क्षति को पट्टाधारी दुकानग्राहता को ही वहन करना होगा। इसके लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7. दुकान का रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत पट्टेधारी द्वारा किया जाएगा।
8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, लोकहित में उक्त संपत्ति का अंतरण निरस्त कर सकेगा और व्यवस्थापन वैकल्पिक स्थल पर कर सकेगा।
9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।
10. पट्टाधारी को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों य किन्हीं अन्य ऐसे पदार्थों के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी सम्पत्ति तथा आसपास की सम्पत्तियों के लिए असुरक्षित हों। सिंगल यूज पॉलिथिन एवं प्लास्टिक सामग्री का निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं होगा।
11. पट्टाधारी किसी एसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।
12. दुकान पट्टाधारी अतिरिक्त अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
13. मुख्य नगरपालिका अधिकारी लोकहित में संपत्ति में सुधार कराएगा तथा पट्टाधारी को सम्पत्ति में सुधार हेतु निर्देश कर सकेगा।
14. पट्टाधारी को विद्युत संयोजन नियमानुसार प्राप्त करना होगा एवं बिजली बिल समय से स्वयं जमा कर रसीद सुरक्षित रखना होगी।
15. पट्टाधारी को इन निर्मित बनाए गए नियमों और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों और अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में चूक करने की दशा में संपत्ति का अंतरण निरस्त किया जा सकेगा।
16. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारों का भुगतान पट्टाधारी द्वारा किया जाएगा।
17. पट्टाधारी स्वयं एवं उसके परिवार के नाम किसी भी प्रकार का कर/किराया/शुल्क बकाया नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कर नगरपालिका का बकाया पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि में से बकाया राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।
18. ऑनलाईन निविदा में (1) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में (2) आधार कार्ड एवं पेनकार्ड (3) बैंक खाता पासबुक या निरस्त बैंक (4) आरक्षित श्रेणी की दुकान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (5) ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क की रसीद (6) 100/- रु स्टाम्प पर शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप अनुसार) स्केन कर अपलोड करना होगी।
19. निविदा आवेदन पत्र पर दुकान क्रमांक, आरक्षित श्रेणी का विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अस्पष्ट एवं ओवरराईटिंग वाली निविदाएं स्वीकार नहीं होगी।
20. निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार नगरपालिका परिषद तराना के पास सुरक्षित रहेगा, जिस पर कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
21. निविदा में दर्शित दुकानें नगरपालिका द्वारा निर्मित हैं। उच्चतम निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा स्वीकृत होने की परिस्थिति में उच्चतम स्वीकृत मूल्य का 25 प्रतिशत 21 दिवस में जमा कराना होगा,

- शेष संपूर्ण राशि 4 माह में जमा करना होगी। दुकान का आधिपत्य संपूर्ण राशि जमा होने पर दिया जावेगा। बकाया राशि समय से जमा नहीं होने पर एक प्रतिशत मासिक ब्याज वसूला जावेगा।
22. दुकान किराए पर निर्धारित जीएसटी पृथक से देना होगा।
 23. प्रत्येक दुकान किराये में प्रत्येक तीन वर्ष में दस प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
 24. समय समय पर दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को होगा।
 25. मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के समस्त नियम, शर्तें एवं उसमें दिये गये प्रावधान तथा संशोधन नियम दिनांक 04 मई 2021 एवं संशोधन 2023 इस भाग में सम्मिलित रहेंगे।
 26. अनुबंध पत्र की शर्तों में संशोधन का अधिकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी को रहेगा।
 27. अनुबंध पत्र एवं निविदा में दी गई शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी तराना को दुकान आवंटननिरस्त कर पुनः प्रवेश/आवंटन की कार्यवाही के पूर्ण अधिकार होंगे जिसे किसी भी न्यायालय में सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार किराएदार को नहीं होगा।
 28. उक्त साथ ही दुकान आवंटन अनुबंध की समस्त शर्तें मान्य होंगी।

निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश –

1. प्रत्येक दुकान के लिए लिए पृथक पृथक निविदा प्रस्तुत करना होगी।
2. निविदा केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी, ऑफलाईन निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. ऑनलाईन प्रक्रिया में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, पेनकार्ड, आरक्षित श्रेणी की दुकान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क की रसीद एवं 100/- रु स्टाम्प पर शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप अनुसार) अपलोड करना अनिवार्य होगा।
1. निविदा आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियों का स्पष्ट उल्लेख बिना कांट छांट के होना चाहिए। कांट छांट युक्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। साथ ही आवेदन, शपथ पत्र एवं ऑनलाईन आफर में एक समान जानकारी होना चाहिए। भिन्नता पाए जाने पर ऑफर निरस्त कर दिया जावेगा।
2. दुकान हेतु आवेदित ऑफर राशि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन प्राईज बिड में ही स्वीकार की जावेगी। फिजिकल रूप में कहीं भी ऑफर राशि का उल्लेख किए जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी एवं निरस्त मानी जावेगी।
3. निविदाकार द्वारा दुकान हेतु ऑफर की जाने वाली राशि उस दुकान के न्यूनतम आरक्षित मूल्य के बराबर या अधिक होनी चाहिए, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी एवं निरस्त मानी जावेगी।
4. निविदा प्रपत्र शुल्क वापसी योग्य नहीं है तथा असफल निविदाकार की धरोहर राशि सक्षम स्वीकृति उपरांत उसी खाते में स्वतः वापस होगी जिससे जमा की गई हो।
5. निविदा खोले जाने के बाद ई-ऑक्शन से संबंधित विवरण अंतिम तिथि उपरांत www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित किया जावेगा, जिसकी पोर्टल जनरेटेड सूचना संबंधित के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से जारी होगी।
6. निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने पर या ई-ऑक्शन संबंधित जानकारी केवल पोर्टल पर ही प्रकाशित की जावेगी, समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं कराया जावेगा।

(विरेन्द्र कुमार मेहता)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन

--: अनुबंध पत्र :-

नगर परिषद् तराना के पक्ष में अनुबंध पत्र लिखा कि नगर परिषद् तराना के स्वामित्व की
.....स्थित दुकान नम्बर.....नगर परिषद् तराना से ई निविदा के माध्यम से उच्चतम
निविदा राशिपीआईसी/परिषद् संकल्प दिनांक.....से स्वीकृति उपरांत नगर
परिषद् तरानाकी निर्धारित शर्तों पर लेना स्वीकार किया है, जिसमें प्रथम पक्ष मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर परिषद् तराना एवं द्वितीय पक्ष.....आयु..... आत्मज.....
.....निवासी.....के मध्य आज दिनांक..... को अनुबंध पत्र निम्नलिखित
शर्तों के तहत निष्पादित किया जाता है—

01. दुकान की साईजवर्गफुट होकर है। दुकान का किरायाहोगा।
02. दुकान का वार्षिक किराया एडवांस (अग्रिम) जमा करना होगा जो वित्तीय वर्षकी प्रथम माह की 30 तारीख तक नगर परिषद् तराना जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी। अन्यथा अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 संशोधित नियम 04.05.2021 के अनुसार अधिभार देय होगा। नवीनीकरण पट्टे की शर्त उल्लंघन के कारण पुनः प्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुए रुपये 10000/- अर्धदण्ड वसूल करने के पश्चात किया जा सकेगा।
03. दुकान में अथवा उसके आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अथवा न्यूसेंस नहीं किया जावेगा तथा दुकान में अथवा दुकान के सामने भट्टी आदि का निर्माण नहीं किया जावेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से दुकान के किसी भी भाग तथा दुकान के सभी ओर अन्दर या बाहर सह दुकान नहीं देगा। अन्यथा दुकान की लीज निरस्त करने का अधिकार नगरपालिका को होगा।
04. दुकान में किसी अन्य को किराएदार अथवा उपपट्टेधारी आदि में दुकान नहीं दूंगा, मैं स्वयं व्यवसाय करूंगा। यदि ऐसा करते पाए जाने पर नगरपालिका को दुकान आवंटन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
05. भूमि एवं निर्मित दुकान नगर परिषद् तरानाकी संपत्ति होगी एवं छत पर नगर परिषद् तरानासक्षम स्वीकृति से कोई भी योजना क्रियान्वित करने हेतु स्वतंत्र होगी।
06. समय समय पर शासन/नगरपालिका द्वारा लगाये गये अन्य करों का भी द्वितीय पक्षकार मैं किराए के अतिरिक्त भुगतान करेगा।
07. आवंटित दुकान की लीज प्रथम 30 वर्षों के लिए अनुबंध दिनांक से रहेगी। जिसका नवीनीकरण नगरपालिका द्वारा वर्तमान अथवा तत्समय प्रचलित शर्तों/नियमों के अधीन किया जावेगा।
08. मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 एवं संशोधन नियम दिनांक 04 मई 2021 एवं 28.03.2023 के अनुसार 10 वर्ष उपरांत दुकान का किराया आरक्षित मूल्य का दो प्रतिशत वार्षिक होगा।
09. नगर परिषद् तरानाकी बिना पूर्व अनुमति के आवंटित दुकान में किसी भी प्रकार का पार्टीशन, रद्दोबदल नहीं किया जावेगा। जिस आकार में दुकान आवंटित की गई है, उसी अनुसार निर्मित रहेगी। यदि ऐसा करते पाए जाने पर दुकान आवंटन निरस्त का अधिकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी को होगा।
10. दुकान अनुबंध के साथ आवंटित (किराएदार) को स्वयं की छायाचित्र (फोटो) लगाना अनिवार्य है।
11. दुकान आधिपत्य/अनुबंध दिनांक से किराया नगर परिषद् तरानाको देय होगा।
12. दुकान की किराएदारी बदलने, आवंटि के आवेदन एवं शपथ पत्र/सहमति पत्र के आधार पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 एवं संशोधन नियम दिनांक 04 मई 2021, 28.03.2023 में किये गये प्रावधान अनुसार होगा।
13. दुकान में भयप्रद एवं वातावरण को दूषित करने वाले पदार्थ जैसे रूई की मशीन, ज्वलनशील पदार्थ, रसायन आदि तथा मांस मदिरा हेतु दुकान का उपयोग नहीं किया जावेगा।
14. दुकान का बोर्ड, विज्ञापन आदि दुकान की सीमा के अन्दर ही लगाना होगा, जिसकी विधिवत अनुमति आउटडोर मीडिया नियमों अनुसार प्राप्त की जावेगी।
15. दुकान आवंटि द्वारा वार्षिक किराया दिये जाने में लगातार तीन माह की चूक होने पर अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 की कण्डिका 15 एवं संशोधित नियम 4 मई 2021 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
16. नगर परिषद् तरानाद्वारा आवंटितों को आवंटित दुकान के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सुविधाएं/सेवाएं प्रदान नहीं की जावेगी। दुकान में आवंटि द्वारा किय जाने वाले व्यवसाय के लिए स्वयं के व्यय पर साज सज्जा, रंगाई पुताई, विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन इत्यादि सेवाओं को प्राप्त करनी होगी।
17. लीज अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के सार्वजनिक या अशांति भंग होने के कारण होने वाली क्षति अथवा बंद, हड़ताल, प्रदर्शन आदि के कारण आवंटि को होने वाले नुकसान के लिए नगरपालिका उत्तदायी नहीं रहेगी। साथ ही नगरपालिका अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा पारित किये गये

- निर्णय/आदेश के परिपालन में आवंटन को निरस्त कर अथवा शर्तों में संशोधन करने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी नगरपालिका उत्तरदायी नहीं रहेगी।
18. दुकान आवंटन को अपने स्वयं व्यय पर अनुबंध का विधिवत उपपंजीयक कार्यालय से पंजीयन कराना होगा।
 19. नगरपालिका की अन्य सभी शर्तें मान्य होंगी, किसी भी विषम स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी तराना का निर्णय अंतिम होगा।
 20. किसी भी शर्त का उल्लंघन पाए जाने पर अथवा नगर परिषद् तरानाको किराएशुदा दुकान की आवश्यकता होने पर विधि अनुसार नोटिस देकर दुकान खाली करवाने का लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अधिकार होगा।
 21. यदि पट्टेधारी पट्टे में वर्णित शर्तों का अनुपालन नहीं करता है अथवा इन नियमों का उल्लंघन करता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा सम्पत्ति का पट्टा रद्द किया जा सकता है तथा सम्पत्ति का ऐसी रीति में व्ययन किया जासकेगा, जैसा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी उचित समझे।
 22. पट्टे की अवधि के अवसान की तारीख के एक वर्ष की अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 की कंडिका 17 एवं संशोधित नियम 4 मई 2021 एवं 28.03.2023 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 23. निविदाकर्ता को आवंटित दुकान में वह स्वयं व्यवसाय करेगा, किसी भी तरह की किराएदारी पर नहीं देगा। अनुबंध पत्र के साथ दुकान स्थापना पंजीयन, आधार कार्ड, विद्युत मण्डल का बिजली बिल एवं अन्य जो भी शासकीय विभाग में पंजीयन कराएगा उन सभी दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी।
 24. अनुबंध पत्र एवं निविदा में दी गई शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दुकान आवंटन निरस्त कर पुनः प्रवेश की कार्यवाही के पूर्ण अधिकार होंगे, जिसे किसी भी न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत करने का अधिकार किराएदार को नहीं होगा।
 25. मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के समस्त नियम, शर्तें एवं उसमें दिये गये प्रावधान तथा संशोधन नियम दिनांक 04 मई 2021 एवं 28.03.2023 एवं निविदा शर्तें किराएदार को मान्य होंगी।
 26. दुकान आवंटन हेतु निविदा की शर्तें बिन्दु क्रमांक 01 से 30 तक इस अनुबंध पत्र का भाग रहेंगे।

निर्धारित आवेदन पत्र

(नगर पालिका तराना की दुकानों की ई-निविदा के लिए प्रस्ताव)

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन

विषय:- दुकान आवंटन हेतु वित्तीय निविदा (ऑफर) प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ:- आपके विज्ञापन क्र. दिनांक

आपके द्वारा संदर्भित विज्ञापन में प्रकाशित निविदा सूचना के अनुसार नगर परिषद् तराना द्वारा निर्मित दुकान प्राप्त करने हेतु वित्तीय निविदा प्रस्ताव (ऑफर) जमा करना चाहता/चाहती हूँ। ऑफर से संबंधित मेरा पूर्ण विवरण निम्नानुसार है:-

1. पूरा नाम —
2. पिता/पति का नाम —
3. आयु —
4. व्यवसाय —
5. वार्षिक आय —
6. जाति/श्रेणी —
- (अ.जा./अज.जा/अ.पि.व./विकलांग/अनारक्षित)
7. आवेदक का लिंग(विधवा/पुरुष/महिला) —
8. आवेदक का स्थायी पता —
- मोबाईल नम्बर.....
9. आवेदक द्वारा आवेदित दुकान का क्रमांक.....आरक्षण.....एवं
दुकान का स्थान

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा ऑनलाइन राशि स्थानांतरण सत्यापित कर लिया गया है।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

.....

शपथ पत्र

(दुकान आबंटन हेतु ई निविदा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने हेतु)

मैं आयु वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
निवासी निम्न कथन/घोषणा शपथपूर्वक करता/करती हूँ कि:-

1. मेरे द्वारा नगर परिषद् तरानाद्वारा निर्मित दुकानों में दुकान का क्रमांक.....आरक्षण.....
दुकान का स्थानके आवंटन हेतु आवेदन किया जा रहा है।
2. यह कि मेरे द्वारा नगर पालिका द्वारा निर्मित दुकान आवंटन हेतु निविदा की शर्तों एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ती अंतरण नियम 2016 एवं संशोधन दिनांक 04 मई 2021 ,वं 28.03.2023 को अच्छी तरह से पढ लिया है एवं सभी शर्ता से सहमत हूँ।
3. यह कि मेरे द्वारा नगरपालिका द्वारा निर्मित दुकान के आवंटन हेतु अनुबंध पत्र को अच्छी तरह से पढ लिया है एवं अनुबंध पत्र से मैं सहमत हूँ।
4. यह कि मेरे द्वारा आवेदित दुकान हेतु जमा की गई धरोहर राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है, जिसका सत्यापन बैंक के माध्यम से कर लिया है।
5. यह कि बिन्दु क्र. 4 की राशि किसी भी कारण से जमा न होने की दशा में मेरा आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा, इसका मुझे ज्ञान है।
6. यह कि उक्त चरण क्र. 1 से 5 में वर्णित जानकारी असत्य पाई जाने की दशा में, उत्तरदायित्व मेरा स्वतः का रहेगा तथा शासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही किये जाने पर मैं दण्ड का भागी रहूंगा/रहूंगी।

स्थान

दिनांक

शपथगृहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र के चरण क्र. 1 से 6 में उल्लेखित तथ्य व जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है जिसका सत्यापन मेरे द्वारा आज दिनांक को किया गया।

स्थान

दिनांक

शपथगृहिता

कार्यालय नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन (म0प्र0)

क्रमांक/राजस्व/2026/

तराना, दिनांक

--: दुकान आवंटन हेतु ई ऑक्शन की सूचना :-

सर्वसंबंधित निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् तराना द्वारा जारी दुकान आवंटन सूचना के अनुक्रम में दुकानों के लिए ईनिविदाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें सफल निविदाकारों के लिए ई ऑक्शन पोर्टल दिनांक को प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक खुला रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए टेण्डर पोर्टल एवं नगर पालिका कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सर्वसंबंधित सूचित होवे।

(विरेन्द्र कुमार मेहता)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन

प्रेस नोट

पारदर्शी ऑनलाईन व्यवस्था में खरीद सकेंगे नगरपालिका दुकान

तराना। नगर परिषद् तराना द्वारा के सर्वसंबंधित निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् तराना द्वारा जारी दुकान आवंटन सूचना के अनुक्रम में ... दुकानों के लिए ईनिविदाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें सफल निविदाकारों के लिए ई ऑक्शन पोर्टल दिनांक को प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक खुली रहेगा।

| |
|--|
| |
| |
| |

अधिक जानकारी के लिए टेण्डर पोर्टल एवं नगरपालिका कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सर्वसंबंधित सूचित होवे।

(विरेन्द्र कुमार मेहता)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन